

जयनारायण वगै० बनाम सांवरमल वगै०
मु०नं० 126/2019
दावा अ०धा० 53, 88

दिनांक -03.06.2022 आज यह पत्रावली वकील वादी की ओर से मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर राजस्व कैम्प पंचायत समिति सूरजगढ़ में तबल की गई। वकील वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सूरजगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। वादी को विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाकर विवादित भूमि ख.नं. 610 वाके मौजा किड़वाना, ख. नं. 145 व 146 वाके मौजा पारसनगर का विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./21/1438 दिनांक 18.08.2021 में अंकितानुसार पक्षकारान को अलग अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

↓
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
(संदीप चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़